न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी : श्री जी. एस. देवड़ा RAS)

प्रकरण संख्या 111/2011 वाद (राजस्व)

श्री प्रेमजी पुत्र हीरा डांगी (पटेल) उम्र-बालिग निवासी बड़ावली, टाड़ा तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज.)
— वादी

बनाम

1. श्री मानजी पुत्र हीरा डांगी (पटेल) उम्र बालिग
2. श्रीमती रूपी बेवा पुंजा डांगी (पटेल) उम्र-बालिग
3. श्री महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पुंजा डांगी (पटेल) ~~उम्र-बालिग~~ जरिये वली माता रूपी बेवा पुंजा डांगी (पटेल)
4. श्री लक्ष्मीलाल पुत्र भगा लुहार उम्र-बालिग
5. श्री कालुलाल पुत्र भगवाना लुहार उम्र-बालिग
6. श्री राजमल पुत्र भगवाना लुहार उम्र-बालिग सर्व निवासीयान ग्राम बड़ावली टाड़ा, तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राजस्थान)
7. श्री भूमिधारी, तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत कृषि भूमि का पांती बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा,

उपस्थित: वादी मय अधिवक्ता श्री जी. एल. डांगी

: आदेश :

दिनांक 17-6-2016

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद बावत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण के दिनांक $\frac{12}{2010}$ को पेश हुआ, जिसका संक्षेप में विवरण यह है, कि वाद वर्णित भूमि जो वाद पत्र की कालम संख्या 1 व 2 में अंकित है। कलम सं. 1 में वर्णित भूमि का वादी 2/9 हिस्सा एवं कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि का वादी 1/3 हिस्सा ग्राम बड़ावली के राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर अविभाजित कृषि भूमि स्थित है। ग्राम [illegible]

से पूर्व प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से में कोई दखल-
दाजी न करे इस बाबत वाद पेश करना आवश्यक
होने से बंटवारा करवाये जाने तथा राजस्व अभिलेख
में अलग-अलग हिस्से अनुसार भूमि खाते दर्ज
करानेएवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत है। वाद
डिक्री करना जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण
को जवाब हेतु सम्मन जारी किये गये, किन्तु विधिनुकु-
ल तामील होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई
उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक
5.05.2010 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।
वादी को साक्ष्य हेतु मौके दिये गये, किन्तु अधिवक्ता
वादी द्वारा साक्ष्य हेतु कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं
किया। पुराना प्रकरण होकर इसमें एक तरफा कार्यवाही
के आदेश है। पुराना प्रकरण होने शीघ्र निस्तारण हेतु
न्याय आपके द्वार-अभियान 2016 में शिविर दिनांक
3.6.2016 को संबंधित पंचायत मुख्यालय-ग्राम
[illegible]बली में वास्ते साक्ष्य एवं सुनवायी हेतु प्रकरण
नियत किया व अन्य पक्षकारान को शिविर स्थल
पर बुलाया गया, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण
[illegible]। मानु व प्रतिवादी सं. 2 रूपी बेवा उपस्थित हुये,
पूजा के वारिस है। पूजा फौत हो चुका है।
जिन्हें बंटवारा हेतु समझाईश करने पर अन्य पक्ष
ने बंटवारा कर हिस्से अनुसार खाते अलग-अलग
कराये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं होना मजमे आम
में जाहिर किया। वादी ने अपनी साक्ष्य बाबत पत्रावली
में समस्त दस्तावेज/खाता नकल इत्यादि प्रस्तुत
होना बताया। वकील वादी के द्वारा शपथपत्र
[illegible]की है। किन्तु बंटवारा बाबत अन्य पक्ष को सुन
कर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर
पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से
खातेदार होकर आपस में मौके पर भी हिस्से
अनुसार काश्त करते आ रहे है। परिवार बढने से
जमीन बाबत कोई विवाद न हो इसलिये दोनो पक्ष
बंटवारा हेतु सहमत हुये। जिन्होंने [illegible]

(3)

...लम संख्या 1 व 2 में वर्णित है उसमे वादी क्रमश: 2/9 व 1/3 हिस्से का सह खातेदार है। शेष हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6, के पूर्वाधिकारी पुंजा के नाम है। दोनो ...ल अविभाजित कृषि आराजीयात पर आपस में हिस्से के अनुसार काबिज है किन्तु कानुनी बंटवारा नही हुआ है। बंटवारा के अभाव में फसल ...ने में कोई विवाद न हो। इसलिये बंटवारा ...या जाना न्यायहित में उचित है।

अत: वादी का वाद डिक्री कर प्रारंभिक डिक्री आदेश दिया जाता है कि मौजा टाड़ा-बड़ावली वाद-ग्रस्त भूमि संवत 2063 से 66 की जमाबंदी खाता संख्या 252 की कृषि भूमि आराजी किता 5 रकबा 0.4600 हेक्टर लगानी 3.55 मे वादी को ...हिस्से से तथा शेष 2/3 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 माना 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 से 6 को उनके पूर्वाधि- पुंजा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित हुये मिटस एण्ड बाऊण्ड के आधार पर बंटवारा जाने का आदेश दिया जाता है। इसी तरह ग्राम के खाता संख्या 316 (संवत 63 से 66 की ...बंदी) की वादग्रस्त भूमि आराजी किता 23 कुल ...बा (क्षेत्रफल) 1.4200 हेक्टर भूमि लगानी 2.67 के ...में वादी को 2/9 हिस्से से एवं शेष प्रतिवादीगण 2 व 3 को मृतक पुंजा के बजाय खातेदार घोषित करते हुये उभय पक्षकारान के मध्य उक्तानुसार ...जन करने की प्रारंभिक डिक्री का आदेश ...जाता है। तहसीलदार सराड़ा को वाद ग्रस्त ...को मौके पर बंटवारा करने हेतु कमिश्नर नियुक्त ...जाता है। दोनो पक्षों को सूचना देकर मौके पर ...हिस्से अनुसार बटवारा कर 15 योम में रिपोर्ट ...करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। कमिश्नर ...Rs.500/- पांच सौ रुपये वादी से वसूल किया जावे ...रंभिक डिक्री जारी हो। बंटवारा रिपोर्ट तलब की ...कर 15 दिवस में प्रस्तुत हो।

आदेश खुले न्यायालय - न्याय आपके द्वार - अभियान 2016 शिविर बड़ावली में सुनाया गया।

7/4/11
14/7/11
23/9/11
3.11.11
9.1.12
3/2/12
.6.12
.7.12
.7.12
.9.12
.11.12
2.13
.5.13
.8.13
9.13
.10.13
.11.13
2.13
2.14
.3.14
7.14
.9.14
10.14
.11.14
2.14
1.15
3.15
.15
.15
.15
3/15